कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 2901 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 04/05/ 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0– 47308 / 2020।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 490/FP/UK/ROAD/47308/2020 दिनांक 20.08.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 345 / 12–1 (2) दिनांक 20.07.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 345 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 20 जुलाई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 490/FP/UK/ROAD/47308/2020 दिनांक–20.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/47308/2020 में इंगित कमियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र0 सं0	इंगित कमियों का विवरण	कमियों का निराकरण
1	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची संलग्न कर प्रेषित है।
3	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न कर प्रेषित है।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.16 (बांज वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति/हस्ताक्षर अपेक्षित है।	विषयक प्रकरण में बांज़ वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण पत्र में वन संरक्षक स्तर से संस्तुति/हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। कृपया आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.20 (राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा होने अथवा न होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

प्रस्ताव संख्या 47308/2020

प्रभावित बांज वृक्षों के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या

जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ़, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग, वन क्षेत्राधिकारी, मुनस्यारी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग डीडीहाट एवं कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग डीडीहाट तथा अमीन मौके पर उपस्थित रहे तथा ग्राम जोशा के सरपंच, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, समाजिक कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे, जिनके द्वारा मार्ग की कमी के कारण ग्रामीणों को हो रही निम्नवत परेशानियों अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया:–

1– उक्त क्षेत्र काफी दुर्गम क्षेत्र है तथा ग्राम से प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र की दूरी लगभग 30 किमी0 है। सुगम मार्ग उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक गम्भीर मरीजों को डोली आदि के द्वारा बड़ी कठनाईयों के साथ स्वास्थ केन्द्रों पर ले जाया जाता है। अतः स्वास्थ सुविधा भी सुचारू नही है।

2– ग्राम में केवल एक ही प्राथमिक विद्यालय है जिससे विद्यालय पहुँचने में भी बच्चों को अत्यधिक कठनाई होती है तथा बच्चों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 137 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिन में 16 बांज वृक्ष भी सम्मिलित है।

अतः ग्रामवासियों की उक्त परेशानियों के निवारण हेतु उक्त मोटर मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के उपरान्त 205 परिवारों के कुल 957 व्यक्तियों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग लम्बाई– 08.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 47308 / 2020)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ। दिनांक 02.05.2024।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ, सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:– 04.05.2024

स्थान:– अल्मोड़ा।

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा